भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2437

10 अगस्त, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

शहरी विकास में किफायती किराये के आवास एवं लैंगिक समावेशन

2437 श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभाः

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी) की राष्ट्रीय स्तर पर हुई प्रगति क्या है, जिसमें लैंगिक समावेशी दिशा-निर्देशों का ब्यौरा भी शामिल हो;
(ख) उत्तर प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों के लिए आवास की कमी को दूर करने, समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देने तथा नवविकसित आवासीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयासों सहित अर्ध-शहरी क्षेत्रों में एआरएचसी के विस्तार की स्थिति क्या है; और
(ग) क्या मौसमी प्रवासी श्रमिकों हेतु औरैया-इटावा के अर्ध-शहरी क्षेत्रों में एआरएचसी का विस्तार किया जाएगा, जिसमें कम से कम 25 प्रतिशत इकाइयां महिला-प्रधान परिवारों के लिए आरक्षित होंगी?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने देश-भर में उत्तर प्रदेश सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के प्रवासी श्रमिकों, शहरी गरीबों तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की आवास संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जुलाई, 2020 में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) की एक उप-योजना के रूप में **किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी)** योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का कार्यान्वयन दो मॉडलों के माध्यम से किया गया है। **मॉडल-1** के अंतर्गत अब तक सरकार द्वारा वित्तपोषित 5,783 खाली पड़े आवासों को किफायती किराया आवास परिसरों (एआरएचसी) में

परिवर्तित किया गया है। इसके अतिरिक्त, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में सरकार द्वारा वित्तपोषित 7,413 मौजूदा खाली पड़े आवासों को एआरएचसी इकाइयों में परिवर्तित करने के प्रस्तावों पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा, **मॉडल-2** के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 83,298 नई एआरएचसी इकाइयों के निर्माण के प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया है। अनुमोदित कुल इकाइयों में से 40,630 एआरएचसी इकाइयों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। एआरएचसी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, एआरएचसी से मिली सीख के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) के अंतर्गत **किफायती किराया आवास (एआरएच)** का एक पृथक घटक शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य शहरी प्रवासियों/औद्योगिक श्रमिकों/कामकाजी महिलाओं/विद्यार्थियों/शहरी गरीबों आदि सहित लक्षित लाभार्थियों के कार्यस्थलों के निकट किफायती किराया आवासों के निर्माण को बढ़ावा देना है। एआरएच घटक का कार्यान्वयन निम्नलिखित दो मॉडलों के माध्यम से किया जाता है:

मॉडल-1: सरकार द्वारा वित्तपोषित मौजूदा खाली पड़े आवासों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) अथवा सार्वजनिक एजेंसियों के माध्यम से किफायती किराया आवास (एआरएच) में परिवर्तित करना।

मॉडल-2: शहरी गरीबों, कामकाजी महिलाओं, उद्योगों, औद्योगिक क्षेत्रों, संस्थानों के कर्मचारियों तथा अन्य पात्र ईडब्ल्यूएस/एलआईजी परिवारों के लिए निजी/सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा किराया आवासों का निर्माण, संचालन एवं रख-रखाव करना।

पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशा-निर्देशों और, जनगणना 2011 के अनुसार सभी सांविधिक नगर, उसके पश्चात अधिसूचित नगर तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/शहरी विकास प्राधिकरण अथवा राज्य के किसी ऐसे प्राधिकरण जिसे शहरी योजना एवं विनियमन संबंधी कार्य सौंपे गए हैं, के अधिकार-क्षेत्र में आने वाले अधिसूचित योजना क्षेत्र, अधिसूचित योजना/विकास क्षेत्र, योजना के अंतर्गत एआरएच घटक सहित कवरेज के लिए पात्र होंगे। पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशा-निर्देश https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf पर उपलब्ध हैं।

इस संबंध में पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत नई एआरएच इकाइयों के निर्माण के लिए सभी इच्छुक सार्वजनिक/निजी संस्थाओं से परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित करने हेतु मंत्रालय द्वारा रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी की गई है। ईओआई का वेब लिंक https://pmay-urban.gov.in/ARH-EOI.pdf पर उपलब्ध है। अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/निजी संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर मंत्रालय ने देश में **12,846 एआरएच इकाइयों** को स्वीकृति प्रदान की है। उत्तर प्रदेश राज्य से एआरएच इकाइयों के निर्माण के लिए अब तक मंत्रालय को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

दिनांक 10.08.2026 को राज्य सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2437 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

क. योजना के मॉडल-1 के तहत लाभार्थियों के लिए एआरएचसी में परिवर्तित किए गए मौजूदा सरकारी वित्त पोषित खाली पड़े आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शहर का नाम	एआरएचसी में परिवर्तित खाली पड़ें आवासों की संख्या
1	चंडीगढ़	चंडीगढ़	2,195
2	गुजरात	सूरत	528
3		अहमदाबाद	1,376
4		राजकोट	698
5	राजस्थान	चित्तौड़गढ़	480
6	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	336
7	उत्तराखंड	लालकुआं	100
8		देहरादून	70
कुल			**5,783**

ख. योजना के मॉडल-2 के तहत स्वीकृत और सार्वजनिक/निजी संस्थाओं द्वारा पूर्ण की गई एआरएचसी इकाइयों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:

क्र.सं.	नाम		संस्था का नाम	कुल इकाइयाँ	निर्माण पूरा हुआ
	राज्य	शहर			
1	तमिलनाडु	श्रीपेरंबदूर	एसपीआर सिटी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	18,112	6,160
2		श्रीपेरंबदूर	एसपीआर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	4,994	4,994
3		होसुर	टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड	13,500	10,756

4		चेन्नई	तमिलनाडु राज्य उद्योग संवर्धन निगम	18,720	18,720
5		चेन्नई	चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	1,040	-
6		चेन्नई	एसपीआर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	5,045	-
7	छत्तीसगढ़	रायपुर	इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड	2,222	-
8	असम	कामपुर टाउन	गुवाहाटी रिफाइनरी इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड	2,222	-
9	उत्तर प्रदेश	प्रयागराज	इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड	1,112	-
10	गुजरात	सूरत	मित्सुमी हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड	453	-
11	तेलंगाना	निजामपेट	सिवानी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड	14,490	-
12	आंध्र प्रदेश	काकीनाडा	कोस्टल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	736	-
13		विज़ियानग्राम	कोस्टल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	652	-
कुल				**83,298**	**40,630**
